



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042026-271845
CG-DL-E-16042026-271845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1846]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948

No. 1846]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2026

का.आ. 1915(अ).— जबकि मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल, मेकर चेंबर्स IV, 222, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400021, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “महाराष्ट्र के बोइसर (पीजी) एस/एस से जुड़े थोक उपभोक्ता के रूप में मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 50 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/86/2025-PG दिनांक 16.09.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “महाराष्ट्र के बोइसर (पीजी) एस/एस से जुड़े थोक उपभोक्ता के रूप में मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 50 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों नवभारत (हिंदी) दिनांक 19.09.2025, फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक 19.09.2025 लोकसत्ता (मराठी) दिनांक 07.01.2026 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 18.10.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 25.03.2026 दिनांक एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत

सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई आपत्ति, टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "महाराष्ट्र के बोइसर (पीजी) एस/एस से जुड़े थोक उपभोक्ता के रूप में मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 50 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

• आरआईएल पालघर मैनुफैक्चरिंग प्लांट (गांव टोकारले, तहसील पालघर, जिला पालघर, महाराष्ट्र में स्थित) – बोइसर (PG) 220 केवी डी/सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन महाराष्ट्र के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

| क्र. सं. | गाँव | तहसील | ज़िला | राज्य |
|----------|--|-------|-------|------------|
| 1 | बेटेगाव, मान (मन), वारांगडे (वारांगडे), बोईसर, कांबळगाव, पंचाळी (पांचाली), कल्लाळे (कळाले), बिरवाडी, उमरोळी (उमरोली), पडघे (पडघा), नंडोरे (नांदोरे), देवखोप (देवखोपे), शेलवाली (शेलवाडी), अंबाडी, पालघर, वरखुंटी (वरखुंटी), कमारे (कमरे), हरणवाडी (हरणवाली), माहीम (माहिम), टोकराळे, केळवारोड. | पालघर | पालघर | महाराष्ट्र |

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/38/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER**ORDER**

New Delhi, the 14th April, 2026

S.O. 1915(E).—Whereas M/s Reliance Industries Limited the applicant with its registered Office at 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai– 400021, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity of 50 MW to M/s Reliance Industries Limited as Bulk Consumer connected to Boisar (PG) S/s in Maharashtra”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/86/2025-PG dated 16.09.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity of 50 MW to M/s Reliance Industries Limited as Bulk Consumer connected to Boisar (PG) S/s in Maharashtra”.

M/s. Reliance Industries Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Navbharat (Hindi) dated 19.09.2025, Financial Express (English) dated 19.09.2025, Loksatta (Marathi) dated 07.01.2026 and in Weekly Gazette of India dated 18.10.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s. Reliance Industries Limited has submitted an affidavit dated 25.03.2026 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication of public notice.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity of 50 MW to M/s Reliance Industries Limited as Bulk Consumer connected to Boisar (PG) S/s in Maharashtra”. The following overhead line is covered under this scheme:

- RIL Palghar Manufacturing Plant (located in Village Tokarale, Taluka Palghar, District Palghar, Maharashtra) – Boisar (PG) 220 kV D/c line.

The transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Maharashtra**:

| S.No. | Village | Tehsil | District | State |
|-------|--|---------|----------|-------------|
| 1 | Betegaon, Mān (Maan / Man), Warangade, Boisar, Kāmbalgaon (Kambalgaon), Panchali, Kallāla (Kallala / Kallale), Birwādi (Birwadi), Umroli, Padga (Padgha / Padghe), Nāndore (Nandore), Devkhop, Selvāli (Selvali / Shelwadi), Ambādi (Ambadi), Pālghar (Palghar), Varkhūnti (Varkhunti), Kamāra (Kamara / Kamare), Haranwādi (Haranwadi / Haranvadi), Māhim (Mahim), Tokrāle (Tokrale / Tokarale), Kelve Road (Kelwa Road). | Palghar | Palghar | Maharashtra |

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Reliance Industries Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Reliance Industries Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/38/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)